रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, जून 30—जुलाई 6, 2019, शनिवार/आषाढ़ 9—आषाढ़ 15, 1941
No. 20] NEW DELHI, JUNE 30— JULY 6, 2019 , SATURDAY/ ASADHA 9—ASADHA 15, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(गुणता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2019

का.नि.आ. 57.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय में निजी सचिव के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ख' (निजी सचिव) पद भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगें जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है या

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of : (1) Special Director General of Quality Assurance – Chairman , (2) Deputy Director General (Human Resources), Headquarters Directorate General of Quality Assurance – Member, (3) Director (Personnel), Directorate of Administration, Headquarters Directorate General of Quality Assurance – Member, (4) Deputy Director, Headquarters Directorate General of Quality Assurance, Administration Directorate – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A/86320/RR/PS/DGQA/Adm-10/458/D(QA) /2019]

JAYASREE C.R., Under Secy.

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2019

का.नि.आ. 58.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, (रक्षा उत्पादन विभाग), क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय (अग्निशमन कर्मचारीवृंद) भर्ती नियम, 2012 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग), गुणता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' पद अराजपत्रित अननुसचिवीय (अग्निशमन कर्मचारीवृंद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा मंत्रालय, (रक्षा उत्पादन विभाग) , क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय (अग्निशमन कर्मचारीवृंद) भर्ती नियम, 2012 (जिन्हें बाद में उक्त नियम कहा जाएगा) में,:-

(1) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है" ;

(2) उक्त नियम की अनुसूची में, -

क. क्रम संख्या 1 के सामने स्टेशन आफिसर के पद से संबंधित,-

(i) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 5 (29200 - 92300 रु)";

(ii) (क) स्तंभ (11) में, "वेतन बैंड – 1, 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 2000/- रु" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 3 (21700-69100 रु.)" शब्दों, अंकों, कोष्ठक और अक्षरों को रखा जाएगा;

(ख) "टिप्पण 3" का लोप किया जाएगा।

ख. क्रम संख्या 2 के सामने, लीडिंग फायरमैन के पद से संबंधित,-

(i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

"स्तर 3 (21700 - 69100 रु.)";

(ii) स्तंभ (11) में, "वेतन बैंड – 1, 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 1900/- रु" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200 रु.)" शब्दों, अंकों, कोष्ठक और अक्षरों को रखा जाएगा;

ग. क्रम संख्या 3 के सामने फायरमैन के पद से संबंधित,-

(i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

"स्तर 2 (19900 - 63200 रु.)";

[फा. सं. ए/86320/आर.आर./एफ एफ एस/ डीजीक्यूए/प्रशा-10/461/डी(क्यू ए)/2019]

जयश्री सी. आर., अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4, तारीख 12 मार्च 2012 में अधिसूचना संख्या का. नि. आ. 16, तारीख 27 फरवरी 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 2nd July, 2019

S.R.O. 58.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence (Department of Defence Production), Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial Posts (Fire Fighting Staff) Recruitment Rules, 2012, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence (Department of Defence Production), Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial Posts (Fire Fighting Staff) Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence (Department of Defence Production), Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial Posts (Fire Fighting Staff) Recruitment Rules, 2012 (herein after referred to as the said rules),:-

(1) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :-

"3. Number of posts, classification and level in pay matrix. –Number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule";

(2) in the said rules, in the Schedule,-

(a) against serial number 1, relating to the post of Station Officer, -

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in pay matrix
(4)
"Level 5 (Rs. 29200 - 92300)";

(ii) in column (11), for the words, figures and letter "the Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2000" , the words, figures, brackets and letters "level 3 (Rs. 21700 - 69100) in the pay matrix" shall be substituted;

(iii) "Note 3" shall be omitted;

(b) against serial number 2, relating to the post of Leading Fireman,-

(i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

" level 3 (Rs. 21700 - 69100)";

(ii) in column (11), for the words, figures and letters "the pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 1900" , the words, figures, brackets and letters "level 2 (Rs. 19900 - 63200) in the pay matrix" shall be substituted;

(c) against serial number 3, relating to the post of Fireman,-

(i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level 2 (Rs. 19900 to Rs. 63200)";

[F. No. A/86320/RR/FFS/DGQA/Adm-10/461/D(QA) /2019]

JAYASREE C.R., Under Secy.

Note : The principal rules were published vide notification number SRO 16 dated the 27 Feb 2012 in the Gazette of India, Part II, Section-4, dated 17 Mar, 2012.

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2019

का.नि.आ. 59.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ख' (वैयक्तिक सहायक) पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ख' (वैयक्तिक सहायक) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ख' (वैयक्तिक सहायक) पद भर्ती नियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ;"

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,-

(क) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स स्तर- 6 (रु. 35400 - 112400)";

(ख) स्तंभ (11) में, "प्रोन्नति" उप-शीर्षक के अधीन "वेतनमान रु.5200 - 20200 + ग्रेड वेतन 2400, वेतन बैंड-1" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500 - 81100)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

(ग) स्तंभ (11) में, "प्रोन्नति" उप-शीर्षक के अधीन, "टिप्पण 3" का लोप किया जाएगा।

(घ) स्तंभ (11) में, "प्रतिनियुक्ति" उप-शीर्षक के अधीन पैरा (क) (ii) में, "वेतनमान रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 2400, वेतन बैंड-1" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500 - 81100) शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

[फा.सं. ए/86320/आर आर /पीए/डी जी क्यू ए/प्रशासन-10/460/डी (क्यू ए)/2019]

जयश्री सी. आर., अवर सचिव